



Neutral Citation No. - 2026:AHC:49323

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3368 वर्ष 2026

श्रीमती राधा गोयल

.....याची(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याची(गण) के अधिवक्ता : मुकुल यादव

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी. एस. सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याची के विद्वान अधिवक्ता श्री मुकुल यादव और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय को सुना।
2. रिट याची का मामला यह है कि उसके पति, नामतः श्री सुरेश चंद्र गोयल (अब मृत), जो सी. एम. ओ., दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय अलीगढ़ के कार्यालय में वरिष्ठ परामर्शदाता सर्जन (सीनियर कंसल्टेंट सर्जन) के रूप में कार्य कर रहे थे, अक्टूबर 2016 के महीने में सेवानिवृत्त हुए और 14.06.2024 को उनका स्वर्गवास हो गया। रिट याची ने पेंशन संबंधी लाभों के लिए प्रत्यर्थियों से संपर्क किया परंतु उन्हें प्रदान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल मालवीय निवेदन करते हैं कि पृष्ठ-22 से, जो रिट याची का एक अभ्यावेदन है, यह स्पष्ट है कि रिट याची और उसके पति के बीच एक वैवाहिक विवाद था और इसके अतिरिक्त पृष्ठ-24 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए, यह तर्क दिया गया है कि नामांकन (नॉमिनेशन) में, रिट याची के पति ने किसी महिला का नाम अंकित कराया था

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और तत्पश्चात् उसे हटा दिया गया था। तथापि, वह निवेदन करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा एक सचेत निर्णय लिया जाना है।

4. बार के समक्ष इस प्रकार किए गए निवेदनों पर विचार करते हुए, रिट याची को प्रत्यर्थी संख्या 4 के समक्ष जाने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से चार माह की अवधि के भीतर, प्रभावित लोगों को नोटिस देने और पत्रावली का परीक्षण करने के पश्चात्, विधि के अनुसार सख्ती से रिट याची के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेगा।

11 मार्च, 2026

एन. एस. राठौर

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।